परिशिष्ट-पौ प्रपञ्च-2 कार्यालय - मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून।

पत्रांक शिविर (वेत) : 15-क :

/गानाता / 2022 - 23 / दिलाक मा केंग्रेस 2077

र्थ गार्थ

प्रवन्धकः / व्यवस्थापक / अत्यवः

भी गुल नानक दून देल स्कूल

देशकोर्स, रामपुर विषय :--

नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियग-2009 की धारा 18 वी प्रयोजनार्थ नि शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिला का अधिकार नियमावली-2011 के नियम 17 में उपनियम (c) के अन्तर्गत विद्यालय की मान्यता का प्रमाण-पत्र।

महोदय / महोदया

आपके आवेदन पत्र के कम में आपने वित्ये गये पत्रामार एवं विद्यालय के किये गये निरिक्षण के आलोक मे आपके विद्यालय श्री गुरू नानक दून वैल स्कूल, रेसकोरी, रायपुर, देहरादून को वी प्राईमरी से कशा—03 तक (अंग्रेजी माध्यम) संघालन हेतु 03 वर्षों की दिनांक 27,04,2022 से 27,04,2025 तक की अवधि के लिए औपबन्धिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रदाल स्वीकृति निम्न शतौ के अनुपालन में अधीन होगी -

1 मान्यता किसी भी परिरिधति में कहा 08 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।

2. विद्यालय नि शुल्क एव अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा नि शुल्क एव अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमायली, 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।

3 विद्यालय अपनी वन्धा-1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोरा के कमजोर एवं पंचित समुदाय के बच्चों का करेगा तथा उन्हें नि गुल्क एवं अनिदार्य प्रारम्भिक रिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संयालन हो रहा है. तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।

 उपरोक्त क्रम संख्या−3 पर वर्णित बच्चों के मामले में विद्यालय को नि गुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से वैक खाता का संचालित करेगा।

5 सस्या/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत अनुदान/कैपिटेशन शुल्क प्राप्त नहीं किया जाएगा तथा किसी भी बच्चे की परीक्षा या उसके माता-पिता/अभिभावक का साक्षात्कार नहीं किया जाएगा।

ह विद्यालय किसी यच्चे के नामांकन से उसको आय प्रमाण पत्र, नामांकन की विस्तारित अविध के बाद प्रवेश सथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों से या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर मना नहीं करेगा।

7 विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएँगे-

(एक) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामाकित बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विधालय से निष्कासित किया जाएगा,

किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताडित नहीं किया जाएगा,

(तीन) किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी,

(धार) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे को नियम 35 के उपनियम (1) के आलोक मे प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा, (पाँच) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में निःशक्त/विशेष आवश्यकता वाले मच्चों का समावेशन किया

शिक्षक, अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) तथा नियमावली के नियम 31 में प्राविधानिल शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे, और

(सात) शिक्षक, निजी-स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण-गतिविधि (द्यूरान) में सलग्न नहीं होंगे।

विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाद्यवर्धा एव पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 18 के प्राविधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्भुत मानकों एवं मानवंडों को बरकत्तर रखेगा। विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निप्नवत होगा-

• विद्यालय-परिसर का क्षेत्रफल,

• कुरव निर्मित क्षेत्र,

• एकेल के मैदान का क्षेत्र,

• ब्राव्य-क्यों की मुल लंख्या,

- प्रज्ञानाध्यापक-तह-कार्यालय-तह-भंडार कार्

• बालक शब्दा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शीचालव.

• पेराज्या की शुविसाः

• माध्यएन चोजन के सिए रसोई-घर,

- बन्त वहत प्रतिव

S G.N. DOON VALE SCHOOL

Tel: 0135-2727732

Shri Guru Nanak Doon Vale School Race Course, Dehradun

शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल-कृद उपकरण/पुरतकालय की उपलबाता।

इस मान्यता द्वारा केवल रवीकृत परिसर में ही विद्यालय संगालित किया जायेगा। विद्यालय के नाम से

अन्य कही विद्यालय संचालित गरी होगा। 12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संस्थानिए अथवा ग्रेदान का उपयोग केवल शिक्षक मतिविधियों हेतु किया जारोका एक अथवा अन्य संस्थानी अथवा ग्रेदान का उपयोग केवल शिक्षक कार्य हेतु नहीं किया जायेगा। इस भवन / संरचना या मैदान का उपयोग किसी प्रकार के व्यावसाधिक कार्य हेतु नहीं किया

13. विद्यालय सोसाइटी रिजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निविधात सीसाइटी के द्वारा अध्या किन्त्री क्लिक्टि अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पिट्यक दूरट के माध्यम से संचालित

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के राघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाग के लिए

संचालित नहीं होगा।

15. लेखा का अंकेक्षा एवं उसका प्रमाणीकरण घार्टर्स एकाउन्टेंट के प्रारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति, प्रतिवर्ष मुख्य शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या 273 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्रायार

करने में इस कोड को कृपया अकित एवं उद्धत किया जाए।

17. राज्य सरकार/मुख्य शिक्षा अधिकारी के द्वारा समय-समय पर माँगे गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति की सुनिश्चिता हेतु अथवा विद्यालय संघालन से सम्बन्धित कठिनाइयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।

18 यदि सोसाइटी के पंजीकरण के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया

19. परिशिष्ट-चार के रूप में संलग्न अन्य शर्ते।

20. यदि विद्यालय द्वारा अधिनियम में दी गयी धाराओं की अवहेलना प्रमाणित होती हैं तो विद्यालय की मान्यता

समाप्त कर दी जायेगी। अधिनियम एवं नियमायली के अनुसार यह मान्यता तीन/पांच वर्ष के लिए की गयी है. उक्त अविध समाप्त होने से पांच माह पूर्व पुनः मान्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र स्वंय विद्यालय / सस्था को करना होगा। आवेदन न करने की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय/संस्था का होगा। भवदीय

> डा0(मुकुल कुमार सती) मुख्य शिक्षा अधिकारी. देहरादून। /मान्यता / 2020–21 तद्दिनॉक ।

पुर्ण्सा शिविर(वेश)/15-क/ 1729-34 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून। मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्मिक शिक्षा, गढवाल मण्डल, पौडी।

जिला शिक्षा अधिकारी (मा0). देहरादून।

 जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा नामित सदस्य। सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस आशय से कि आरoटी०ई० नियमायसी, 2011 के अनुसार आप

विद्यालय निरीक्षकर्ता अधिकारी हैं, अतः अधिनियम एवं नियमायली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार विद्यालयं निराज्ञवरा। आवक्तम हे, जाः। आवानवन एवं निवनावरा। न वा नवा व्यवस्था के अनुसार विद्यालयों का संवालन कराना सुनिश्चित करें, साथ ही समस्त विद्यालयों से समय-समय पर पूर्ण सूचनाएं विद्यालयों कर पत्रावली में सुरक्षित रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर सूचनाएं आपके माध्यम से प्राप्त की जा सकें और विद्यालयों का सतत् निरीक्षण करते रहें।

> डा०(मुक्क कुमार सती) मुख्य शिक्षा अधिकारी येहराद्म ।

9 G.N. DOON VALE SCHOOL Rece Course, Dehra Dun Tel: 0135-2727732

Shri Guru Nanak Doon Vale School Race Course, Dehradun